## Order Sheet [Contd] Case No 156/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
25-04-2017	राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। आरोपी रहींस शर्मा अभिरक्षा से पेश एवं आरोपी रामविहारी सहित श्री भगवती राजौरिया अधिवक्ता। उभयपक्षों के आरोपी रहीस शर्मा के संबंध में आरोप पर तर्क श्रवण किए गए।  प्रकरण का प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिससे दर्शित होता है कि आरोपी रहीस शर्मा के विरूद्ध धारा 366 एवं 328 मा.द.वि. के तहत आरोप विरचित करने के पर्याप्त आधार होने से उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया। जो आरोपी को पढ़कर सुनाया समझाया गया तो आरोपी ने अपराध अस्वीकार किया तथा धारा 294 दं.प्र.सं. के तहत चालान के दस्तावेजों को अस्वीकार कर विचारण की मांग की। इस संबंध में आरोपी का प्रथक से अभिवाक लेखबद्ध किया गया। राज्य की ओर से पूर्व में पेश साक्ष्य सूची अनुसार साक्ष्य कराना व्यक्त किया।  अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं। साक्षी बलराम को जारी जमानती वारंट अदम बापस प्राप्त।  प्रकरण दो दिवसीय अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जता है. जिसमें प्रथम दिवस हेतु साक्षी दलवीर कुशवाह, रचना कुशवाह व बलराम को जिरए जमानती वारंट से एवं द्वितीय दिवस हेतु साक्षी नरेश कोल एवं सुनील दुवे को जिरए समंस आहूत किया जावे।  प्रकरण दो दिवसीय अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 29,30–05–2017 को पेश हो।  सही/—  (वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  एएस.जे. गोहद पुनश्चयः—  राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।  आरोपी रहीस शर्मा अभिरक्षा से पेश एवं आरोपी रामविहारी सहित श्री भगवती राजौरिया अधिवक्ता।  आरोपी रहीस शर्मा की ओर से श्री भगवती राजौरिया अधिवक्ता द्वारा नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० पेश किया।	A TITOL IN THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL P
	(ATIME TO	

उक्त आवेदनपत्र पर उभय पक्षों के तर्क श्रवण किए गए।

आरोपी रहीस शर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक मजदूर पेशा व्यक्ति है, उकसे विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था। आवेदक को इसकी जानकारी होने पर उसके द्वारा दिनांक 23.03.17 को अधीनस्थ न्यायालय में समर्पण किया है और वह तभी से न्यायिक निरोध में है। यदि अधिक समय तक वह अभिरक्षा में रहा तो उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। प्रकरण चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र घोर विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

आवेदक / अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि प्रकरण के मुख्य आरोपी जिस पर कि अभियोक्त्री के साथ बलात्कार का आरोप है को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किए है। आवेदक / अभियुक्त पर सहआरोपी से गंभीर अपराध का आरोप नहीं है। आवेदक अपराध में सम्मलित नहीं रहा है और इसी आधार पर उसे जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोक्त्री द्वारा आवेदक/अभियुक्त पर सहआरोपी के साथ गाडी में बिठाने एवं प्रसाद वाली वर्फी खिलाने के संबंध में आरोप लगाये है। तत्पश्चात् फरियादिया वेहोश हो गई। प्रकरण के सहआरोपी रामविहारी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी क्रमांक 11731/16 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2016 के द्वारा नियमित जमानत पर मुक्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त लगभग एक महीने से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर लगाए गए के स्वरूप को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि उसकी ओर से 20,000 / — रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र पेश हो तो उसे प्रतिभूति मुक्त किये जाने का आदेश निम्न शर्तों के अधीन दिया जाता है।

## शर्ते:-

- 1. आरोपी प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- 2. साक्ष्य को डराएगा धमकाएगा नहीं।
- 3. जैसा अपराध किया है वैसे अपराध में पुनः लिप्त नहीं हरेगा। प्रकरण पूर्ववत अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 29,30—05—2017 को पेश

हो ।

सही / — (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए.एस.जे. गोहद